वॉरसौ 8 नवम्बर 2013

यू एन एफ सी सी सी पार्टियों के प्रतिनिधियों व पर्यावरण मंत्रियों के लिए खुला पत्र

विषय कार्बन बाज़ारों को सी ओ पी 19 में घटाव की वचनबद्धता को कम करने से रोकना

प्रिय मंत्री जी प्रिय प्रतिनिधि

आई पी सी सी की नई रिर्पोट ने हमारे समक्ष कड़ी चुनौती की पुष्टि की है। अब हम बगैर किसी नाटकीय प्रतिकिया के भूमि और पानी जिन पर हम जीवित रहने के लिए निर्भर हैं उन पर पड़ने वाले इसके भयंकर परिणामों को देखेंगे। 19 वर्ष पहले यू एन के मौसम परिवर्तन के कन्वेन्शन को ग्रीन हाउस गैसों को स्थिर बनाए रखने के लिए लागू किया गया था। जितना भी अतिरिक्त कार्बन डाय आक्साइड का स्राव होगा उतना ही 2 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य को प्राप्त करना मुश्किल व मॅहगा होता जाएगा।

हम () भद्र समाज के नेटवर्क संस्थान और () देशों के चिंतित नागरिक आपसे अनुरोध करते हैं कि आप मौसम के सम्बन्ध में एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम बना कर कार्बन बाज़ारों को सी ओ पी 19 में घटाव की वचनबद्धता को कम करने से रोकें। मौसम के एक ऐसे व्यापक व विस्तृत समझौते के लिए जिसे कि 2015 में मान्यता मिल सके रास्ता साफ करने के लिए हम आपका आव्हान निम्न के लिए करते हैं

- **स्पष्ट निष्पक्ष व महत्वाकांक्षी वचनबद्धता** की ज़रूरतों पर सहमति देना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हम 2 डिग्री की वार्मिंग के नीचे रहें।
- फ्रेमवर्क फॉर वेरियस अप्रोचेज़ (एफ एफ ए) के अन्तर्गत **कार्बन बाज़ार की ईकाइयों में व्यापार करने के पायलट चरण को खारिज करना** ताकि 2020 के पश्चात की नई मौसम प्रणाली में घटाव न आए।
- **एक अर्न्राष्ट्रीय लेखा प्रणाली के ढॉचे को स्थापित करना** ताकि दो बार गणना से बचा जा सके व पर्यावरण के वास्तविक लाभों को प्राप्त किया जा सके।
- **यह सुनिश्चित करना कि कार्बन बाज़ारों में घुसने के लिए महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी हो** ताकि किसी भी प्रकार की नई गर्म हवा का निर्माण न हो सके।

- कोयोटो की लचीली प्रणालियों जैसे की सी डी एम और जे आई से विशाल पावर प्रोजेक्टों जैसे **गैर अतिरिक्त प्रोजेक्टों को बाहर रखना** ताकि देश की मौसम वचनबद्धता में घटाव से बचा जा सके।
- **फॉसिल ईंधन के लिए मौसम की आर्थिक पूँजी को बन्द करना** और सी डी एम से कोयला ऊर्जा को बाहर निकालना।
- जब सी डी एम ग्रीन क्लाइमेट फन्ड एन ए एम ए या भावी कार्बन बाज़ारों के अन्तर्गत घटाव के प्रोजेक्टों को लाया जाए तब **मानवाधिकारों की सुरक्षा का संरक्षण करना।**

भवदीय

महाद्वीपों की सभी सहायक संस्थाएँ